

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची-834001

प्रेस विज्ञप्ति

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत “बाल विकास परियोजना पदाधिकारी” मुख्य (लिखित) परीक्षा (विज्ञापन संख्या-21 / 2023) के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत “बाल विकास परियोजना पदाधिकारी” मुख्य (लिखित) परीक्षा (विज्ञापन संख्या-21 / 2023) दिनांक-02.08.2024, 03.08.2024 एवं 04.08.2024 को राँची जिले के एक परीक्षा केन्द्र में निर्धारित है। परीक्षा निम्न कार्यक्रमानुसार आयोजित की जायेगी।

दिनांक	प्रथम पाली (पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 01:00 बजे तक)	द्वितीय पाली (अपराहन 02:00 बजे से अपराहन 05:00 बजे तक)
02.08.2024	हिन्दी	-
03.08.2024	सामान्य अध्ययन (प्रथम पत्र)	सामान्य अध्ययन (द्वितीय पत्र)
04.08.2024	वैकल्पिक विषय (प्रथम पत्र)	वैकल्पिक विषय (द्वितीय पत्र)

मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, प्रवेश-पत्र एवं उपस्थिति पत्रक से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ निम्नवत् हैं :-

1. इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।
2. आयोग के वेबसाईट www.ipsc.gov.in पर प्रवेश-पत्र एवं सभी पत्रों के उपस्थिति पत्रक डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल होने की व्यवस्था की गई है।
3. उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक (Provisional) रूप से प्रवेश-पत्र निर्गत किये जायेंगे। किसी भी स्तर पर जाँच या सत्यापन के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण पाये जाने पर अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी तथा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
4. मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में वैकल्पिक विषय हेतु चयनित विषय के आधार पर ही प्रवेश-पत्र निर्गत किये जायेंगे एवं तदनुसार मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
5. अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट www.ipsc.gov.in पर अपनी पंजीयन संख्या एवं जन्म-तिथि डालकर दिनांक-27.07.2024 से प्रवेश-पत्र एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश-पत्र एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड नहीं होने की स्थिति में आयोग के हेल्पलाईन नं0 +919431301636 / +919431301419 पर कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा आयोग के पूछताछ काउन्टर पर प्रवेश-पत्र जारी होने की तिथि से दिनांक-01.08.2024 तक कार्यदिवस में अपना नाम, पिता का नाम, जन्म-तिथि एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ आवेदन देकर प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
6. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किए गए प्रवेश-पत्र, उपस्थिति पत्रक एवं परीक्षा केन्द्र की जाँच कर लें। यदि उनमें कोई त्रुटि हो तो आयोग के पूछताछ काउन्टर पर प्रवेश-पत्र जारी होने की तिथि से दिनांक-01.08.2024 तक लिखित आवेदन देकर त्रुटि सुधार करा लें। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. दिव्यांग कोटि के इच्छुक अभ्यर्थी (कम से कम 40% संगत निःशक्तता) श्रुतलेखक (scribe) हेतु (जिन्हें यह सुविधा देय है) वे प्रवेश पत्र में निर्धारित केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक को परीक्षा से तीन दिन पूर्व तक अपने प्रवेश पत्र, वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र, वैध पहचान पत्र के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केन्द्राधीक्षक द्वारा इस निमित्त यथा-निर्देशित व्यवस्था की जानी है। श्रुतलेखक (scribe) की शैक्षणिक योग्यता आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता (स्नातक या समकक्ष) से कम होनी चाहिए। श्रुतलेखक (scribe) की व्यवस्था अभ्यर्थी स्वयं करेंगे तथा अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक को पारिश्रमिक का भुगतान प्रति सत्र 100/-रुपये की दर से देय होगा।

8. अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र में दिए गए निदेश के अनुसार अपने साथ प्रत्येक पाली में 04 (चार) Passport Size रंगीन फोटोग्राफ एवं वैध पहचान-पत्र परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ लाएँ।
9. अभ्यर्थी को प्रत्येक पाली के लिए एक ही उत्तर-पुस्तिका उपलब्ध करायी जायेगी।
10. अभ्यर्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख्यपृष्ठ पर दिये गये ३००एम०आर० (OMR) पर आवश्यक जानकारियाँ प्रविष्टि करने के पूर्व प्रवेश-पत्र, उपस्थिति-पत्रक एवं उत्तरपुस्तिका में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही प्रविष्टि अंकित करें। उत्तर-पुस्तिका में वर्णित निदेशानुसार अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।
11. परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन या अन्य कोई Electronic Gadget रखने की अनुमति नहीं है। अतः अभ्यर्थियों को निवेशित किया जाता है कि वे परीक्षा केन्द्र पर कागज, पर्ची, मोबाईल फोन सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ यथा: बैग, पाठ्य पुस्तिकाएँ, खाद्य सामग्री एवं अस्त्र-शस्त्र इत्यादि साथ में नहीं लाए। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, उत्तर-पत्रक लेकर भाग जाना, उसे नष्ट करना आदि कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं जो झारखण्ड प्रतियोगिता परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकधाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ दण्डात्मक/अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ भविष्य में होनेवाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
12. अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुँचकर अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जाएँ।
13. अभ्यर्थियों को सभी पत्रों की परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा अन्यथा मुख्य परीक्षा की मेधा सूची में ऐसे अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।
14. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह० /—
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।